न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 33 / 2021 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2021 / 40

1. रामकुमार पुत्र सावणराम जाति बावरी साकिन चक 23 ओ. तहसील श्री करणपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. देशराज पुत्र सुखराम जाति बावरी साकिन चक 19 जी.डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. जीवणी पुत्री सावणराम जाति बावरी साकिन चक 23 ओ. तहसील श्री करणपुर।
3. राजस्थान सरकार।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री विजय कुमार पारीक	अभिभाषक अपीलांट
	श्री करणसिंह	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
	श्री विजय कुमार भादाणी	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय

दिनांक 27.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 11.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 23 ओ. के मुरब्बा नंबर 39 के किला नं. 21 व 22 मुरब्बा नंबर 16 के किला नंबर 4 ता 6 व मुरब्बा नंबर 24 के किला नंबर 7 ता 10 कुल 2.77 हैक्टयर भूमि अपीलांट के पिता सावणराम के नाम रिकॉर्ड दर्ज भूमि थी। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ने तहसीलदार श्रीकरणपुर के समक्ष वसीयत प्रस्तुत कर अपने पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 11.02.2021 जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के आदेश दिनांक 11.02.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि अपीलांट के पिता सावणराम विरासतन प्राप्त भूमि थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तथाकथित अवैध वसीयत पेश कर मृतक सावणराम के पुत्र–पुत्री का हक छीना है। उक्त वसीयत पैतृक भूमि की हुई है जो कानून की निगाह में शून्य है। सावणराम 95 वर्ष का था तथा कैंसर से पीडित था तथा आंखों से दिखाई नही देता था। तथाकथित वसीयत दिनांक 19.06.2018 को बनाई गई, जबकि डाक्टर का सर्टिफिकेट पेश है जिसमें यह अंकित है कि दिनांक 18.06.2018 को मृत्युशय्या पर होने के कारण सावणराम को कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तथा डॉक्टर ने जवाब दे दिया एवं दिनांक 19.06.2018 को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी तथा घर ले जाने को कहा इससे स्पष्ट है कि दिनांक 19.06.2018 को वसीयत करने की स्थिति में नहीं था तथा वसीयत में फोटों जो लगाई गई वह पुरानी फोटो हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 2018 में प्रार्थना–पत्र पेश किया था तथा तीन वर्ष तक पेंडिग रखकर बिना प्रक्रिया अपनाए निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज किया जाना चाहिए था क्योकि भूमि पैतृक भूमि थी। वसीयत हो ही नही सकती थी। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्री करणपुर दिनांक 11.02.2021 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं

1. आर.आर.डी. 1974 पेज संख्या 450
2. आर.आर.जे 2010(1)पेज सं. 189
3. आर.आर.डी 2014 पेज संख्या 253
4. आर.आर.डी 1984 पेज सं. 281

3–विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के दादा सावणाराम द्वारा लिखी गई वसीयत के आधार पर वादगत भूमि का इंतकाल चढ़ाने के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम तथ्यों की जांच करके वसीयत को सही दस्तावेज मानकर प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मुरब्बा नंबर 16 के किला नंबर 4 ता 6 में 0.759 हैक्टयर तथा मुरब्बा नंबर 24 में किला नंबर 7 ता 10 में 1.012 हैक्टयर भूमि का वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल चढ़ाने का आदेश दिया तथा मुरब्बा नंबर 39 के किला नंबर 21 व 22 की 0.516 हैक्टयर भूमि का विरास्तन इंतकाल चढ़ाने का आदेश दिया जबकि मुरब्बा नंबर 39 के किला नंबर 21 व 22 की 0.516 हैक्टयर भूमि भी वसीयत में अंकित है तथा इस 0.516 हैक्टयर भूमि का भी वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम से इंतकाल चढ़ाने का आदेश दिया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को आंशिक रूप से स्वीकार करना तथा आंशिक रूप से अस्वीकार करना क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण आदेश अधीनस्थ न्यायालय दुरस्त किया जाने योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.02.2021 निरस्त कर दुरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उक्त वादगत भूमि में से मुरब्बा नंबर 16 के किला नंबर 4 ता 6 व मुरब्बा नंबर 24 के किला नंबर 7 ता 10 बीघा भूमि का इंतकाल वसीयत के आधार पर एवं मुरब्बा नंबर 39 के किला नंबर 21 व 22 की कुल 0.156 हैक्टयर भूमि का इंतकाल विरास्तन दर्ज करने का आदेश दिनांक 11.02.2021 जारी किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार करणपुर ने एक ही वसीयत को आंशिक रूप से स्वीकार किया है और आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया है जो वसीयत की मूल भावना एवं नियमों के विपरीत होने पर न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2021 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर